

# THE JHARKHAND GAZETTE

# EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 948

12 Aashwin, 1940(S)

Ranchi, Thursday, 4th October, 2018

# COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

-----

Notification 4<sup>th</sup> October, 2018

# Notification No. 39/2018 – State Tax

**S.O. No.71 Dated-4<sup>th</sup> October, 2018--** In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2018.
- (2) Save as otherwise provided, This notification shall be deemed to be effective from 4<sup>th</sup> September, 2018.
- 2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 22, in sub-rule (4), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that where the person instead of replying to the notice served under subrule (1) for contravention of the provisions contained in clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29, furnishes all the pending returns and makes full payment of the tax dues along with applicable interest and late fee, the proper officer shall drop the proceedings and pass an order in **FORM GST-REG 20**." 3. In the said rules, in rule 36, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that if the said document does not contain all the specified particulars but contains the details of the amount of tax charged, description of goods or services, total value of supply of goods or services or both, GSTIN of the supplier and recipient and place of supply in case of inter-State supply, input tax credit may be availed by such registered person."

- 4. In the said rules, in rule 55, in sub-rule (5), after the words "completely knocked down condition", the words "or in batches or lots" shall be inserted.
- 5. In the said rules, in rule 89, in sub-rule (4), for clause (E), the following clause shall be substituted, namely:-
  - '(E) "Adjusted Total Turnover" means the sum total of the value of-
    - (a) the turnover in a State or a Union territory, as defined under clause (112) of section 2, excluding the turnover of services; and
    - (b) the turnover of zero-rated supply of services determined in terms of clause (D) above and non-zero-rated supply of services,

excluding-

- (i) the value of exempt supplies other than zero-rated supplies; and
- (ii) the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub-rule (4A) or sub-rule (4B) or both, if any,

during the relevant period.'.

- 6. In the said rules, with effect from the 23<sup>rd</sup> October, 2017, in rule 96, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
  - "(10) The persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have -
    - (a) received supplies on which the benefit of the Government of Jharkhand, Commercial Taxes Department published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 113, dated the 24<sup>th</sup> October, 2017 or notification No. 40/2017-State Tax (Rate), dated the 07<sup>th</sup> November, 2017 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 120, dated the 07<sup>th</sup> November, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23<sup>rd</sup> October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1321 (E), dated the 23<sup>rd</sup> October, 2017 has been availed; or
    - (b) availed the benefit under notification No. 78/2017-Customs, dated the 13<sup>th</sup> October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1272(E), dated the 13<sup>th</sup> October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs, dated the 13<sup>th</sup> October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1299 (E), dated the 13<sup>th</sup> October, 2017.".
- 7. In the said rules, in rule 138A, in sub-rule (1), after the proviso the following proviso shall be inserted, namely:-
  - "Provided further that in case of imported goods, the person in charge of a conveyance shall also carry a copy of the bill of entry filed by the importer of such goods and shall indicate the number and date of the bill of entry in **Part A** of **FORM GST EWB-01**."

8. In the said rules, for FORM GST REG-20, the following FORM shall be substituted, namely:-

# "FORM GST REG-20 [See rule 22(4)]

Reference No	Date -
То	
Name Address	
GSTIN/UIN	
Show Cause Notice No.	Date-
Order for dropping the proceeding	ngs for cancellation of registration
response to the show cause notice ref- your reply and/or submissions made	ed vide ARN dated in erred to above. Upon consideration of de during hearing, the proceedings ion stands vacated for the following
or	
The above referred show cause notic provisions of clause (b) or clause (c) Jharkhand Goods Services Tax Act, 2 returns which were due on the date of	e was issued for contravention of the of sub-section (2) of section 29 of the 017. As you have filed all the pending issue of the aforesaid notice, and have a applicable interest and late fee, the of registration are hereby dropped.
	Signature < Name of the Officer>  Designation Jurisdiction
DI	Julisticuon
Place: Date:	".

9. In the said rules, for FORM GST ITC-04, the following FORM shall be substituted, namely:-

# "FORM GST ITC-04 [See rule 45(3)]

# Details of goods/capital goods sent to job worker and received back

- 1. GSTIN -
- 2. (a) Legal name -

(b) Trade name, if any -

3. Period:

Quarter -

Year -

4. Details of inputs/capital goods sent for job work (includes inputs/capital goods directly sent to place of business /premises of job worker)

GSTIN	Challn	Challn	Descriptio	UQC	Quantity	Taxable	Type of goods		Rate of	f tax (%)	
/ State in case of unregistered job worker	No.	date	n of goods				(Inputs/capital goods)	Central tax	State/ UT tax	Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 5. Details of inputs/capital goods received back from job worker or sent out from business place of job work
- (A) Details of inputs/ capital goods received back from job worker to whom such goods were sent for job work; and losses and wastes:

GSTIN /	Challan	Date of	Description	UQC	Quantity	Original	Original	Nature	Losses	&
State of job	No. issued	challan	of goods			challan	challan	of job	wastes	
worker if	by job	issued by				No.	date	work		
unregistered	worker	job				under	under	done	UQC	Qua
	under	worker				which	which	by job	oqc	ntity
	which	under				goods	goods	worker		ntity
	goods	which				have	have			
	have been	goods				been	been			
	received	have				sent for	sent for			
	back	been				job	job			
		received				work	work			
		back								
1	2*	3*	4	5	6	7*	8*	9	10	11

(B) Details of inputs / capital goods received back from job worker other than the job worker to whom such goods were originally sent for job work; and losses and wastes:

GSTIN /	Challan	Date of	Description	UQC	Quantity	Original	Original	Nature	Losses	& wastes
State of job	No.	challan	of goods			challan	challan	of job		
worker if	issued	issued				No.	date	work		
unregistered	by job	by job				under	under	done	UQC	Quantity
	worker	worker				which	which	by job	oqc	Quantity
	under	under				goods	goods	worker		
	which	which				have	have			
	goods	goods				been	been			
	have	have				sent for	sent for			
	been	been				job	job			
	received	received				work	work			
	back	back								
1	2*	3*	4	5	6	7*	8*	9	10	11

(C) Details of inputs/ Capital goods sent to job worker and subsequently supplied from premises of job worker; and losses and wastes:

GSTIN /	Invoice	Invoice	Description	UQC	Quantity	Original	Original	Nature	Losses	s &
State of job	No. in	date in	of goods			challan	challan	of job	wastes	,
worker if	case	case				no.	date	work		
unregistered	supplied	supplied				under	under	done		
	from	from				which	which	by job	UQC	Qua
	premises	premises				goods	goods	worker		ntity
	of job	of job				have	have			
	worker	worker				been	been			
	issued	issued				sent for	sent for			
	by the	by the				job	job			
	Principal	Principal				work	work			
1	2	3	4	5	6	7*	8*	9	10	11

# **Instructions:**

- 1. Multiple entry of items for single challan may be filled.
- 2. Columns (2) & (3) in Table (A) and Table (B) are mandatory in cases where fresh challan are required to be issued by the job worker. Otherwise, columns (2) & (3) in Table (A) and Table (B) are optional.
- 3. Columns (7) & (8) in Table (A), Table (B) and Table (C) may not be filled where one-to-one correspondence between goods sent for job work and goods received back after job work is not possible.

# 6. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

	Signature
Place	Name of
Authorised Signatory	
Date	
Designation /Status	"

10. In the said rules, after **FORM GSTR-8**, the following FORMS shall be inserted, namely:-

			ORM GSTR-9 (See rule 80) Annual Return				
Pt. I			Basic Details				
1	Financial Year						
2	GSTIN						
3A	Legal Name						
3B	Trade Name (if any)						
Pt. II	Details of	Outward and i	nward supplies decla	ared during	g the finan	icial year	
				(A	mount in	□ in all table	es)
	Nature of Sup	plies	Taxable Value	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1		2	3	4	5	6
4	Details of advances, in returns filed during the			which tax	is payable	as declared	l in
A	Supplies made to un-re persons (B2C)	gistered					
В	Supplies made to regist (B2B)	ered persons					
С	Zero rated supply (Exp payment of tax (except SEZs)						
D	Supply to SEZs on pay	ment of tax					
Е	Deemed Exports						
F	Advances on which tax paid but invoice has no (not covered under (A) above)						
G	Inward supplies on white be paid on reverse char	ge basis					
Н	Sub-total (A to G above	<u> </u>					
I	Credit Notes issued in transactions specified is above (-)	-					
J	Debit Notes issued in retransactions specified i above (+)						
K	Supplies / tax declared Amendments (+)	through					
L	Supplies / tax reduced (Amendments (-)						
M	Sub-total (I to L above)	)					
N	Supplies and advances is to be paid (H + M) a						
5	Details of Outward su the financial year	pplies on whi	ch tax is not payab	le as decla	red in ret	turns filed d	uring
A	Zero rated supply (Exp payment of tax	ort) without					

В	Supply to SEZs without payment of tax					
С	Supplies on which tax is to be paid by the recipient on reverse charge					
	basis					
D	Exempted					
Е	Nil Rated					
F	Non-GST supply					
G	Sub-total (A to F above)					
Н	Credit Notes issued in respect of transactions specified in A to F above (-)					
I	Debit Notes issued in respect of transactions specified in A to F above (+)					
J	Supplies declared through Amendments (+)					
K	Supplies reduced through Amendments (-)					
L	Sub-Total (H to K above)					
M	Turnover on which tax is not to be paid (G + L above)					
N	Total Turnover (including advances) (4N + 5M - 4G above)					
Pt. III	Details of ITC as dec	lared in returns filed	l during th	e financial	year	
	Description	Т	Central	State	Integrated	Cess
	Description	Type			_	0000
	Description	Туре	Tax	Tax / UT Tax	Tax	
	Description 1	2 2		Tax / UT	_	6
6	_	2	Tax 3	Tax / UT Tax 4	Tax 5	
6 A	Details of ITC availed as of Total amount of input tax credit avail GSTR-3B (sum total of Table 4A of	2 declared in returns led through FORM FORM GSTR-3B)	Tax  3  filed duri	Tax / UT Tax 4 ng the fin	Tax 5 ancial year	
	Details of ITC availed as of Total amount of input tax credit avail GSTR-3B (sum total of Table 4A of Inward supplies (other than imports	2 leclared in returns led through FORM FORM GSTR-3B) Inputs	Tax  3  filed duri	Tax / UT Tax 4 ng the fin	Tax 5 ancial year	6
	Details of ITC availed as of Total amount of input tax credit avail GSTR-3B (sum total of Table 4A of Inward supplies (other than imports and inward supplies liable to	2 leclared in returns led through FORM FORM GSTR-3B) Inputs Capital Goods	Tax  3  filed duri	Tax / UT Tax 4 ng the fin	Tax 5 ancial year	6
A	Details of ITC availed as of Total amount of input tax credit avail GSTR-3B (sum total of Table 4A of Inward supplies (other than imports	2 leclared in returns led through FORM FORM GSTR-3B) Inputs	Tax  3  filed duri	Tax / UT Tax 4 ng the fin	Tax 5 ancial year	6
A	Details of ITC availed as of Total amount of input tax credit availed GSTR-3B (sum total of Table 4A of Inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs)  Inward supplies received from	2 leclared in returns led through FORM FORM GSTR-3B) Inputs Capital Goods	Tax  3  filed duri	Tax / UT Tax 4 ng the fin	Tax 5 ancial year	6
В	Details of ITC availed as of Total amount of input tax credit availed GSTR-3B (sum total of Table 4A of Inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs)  Inward supplies received from unregistered persons liable to	lectared in returns led through FORM FORM GSTR-3B) Inputs Capital Goods Input Services Inputs Capital Goods	Tax  3  filed duri	Tax / UT Tax 4 ng the fin	Tax 5 ancial year	6
A	Details of ITC availed as of Total amount of input tax credit availed GSTR-3B (sum total of Table 4A of Inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs)  Inward supplies received from unregistered persons liable to reverse charge (other than B above)on which tax is paid & ITC availed	2 leclared in returns led through FORM FORM GSTR-3B) Inputs Capital Goods Input Services Inputs	Tax  3  filed duri	Tax / UT Tax 4 ng the fin	Tax 5 ancial year	6
В	Details of ITC availed as of Total amount of input tax credit availed GSTR-3B (sum total of Table 4A of Inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs)  Inward supplies received from unregistered persons liable to reverse charge (other than B above)on which tax is paid & ITC availed  Inward supplies received from	leclared in returns led through FORM FORM GSTR-3B) Inputs Capital Goods Input Services Inputs Capital Goods Inputs Inputs Inputs Inputs Inputs Inputs Inputs Inputs	Tax  3  filed duri	Tax / UT Tax 4 ng the fin	Tax 5 ancial year	6
В	Details of ITC availed as of Total amount of input tax credit avail GSTR-3B (sum total of Table 4A of Inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs)  Inward supplies received from unregistered persons liable to reverse charge (other than B above)on which tax is paid & ITC availed  Inward supplies received from registered persons liable to reverse	leclared in returns led through FORM FORM GSTR-3B) Inputs Capital Goods Input Services Inputs Capital Goods Inputs	Tax  3  filed duri	Tax / UT Tax 4 ng the fin	Tax 5 ancial year	6
A B C	Details of ITC availed as of Total amount of input tax credit avail GSTR-3B (sum total of Table 4A of Inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs)  Inward supplies received from unregistered persons liable to reverse charge (other than B above)on which tax is paid & ITC availed  Inward supplies received from registered persons liable to reverse charge (other than B above) on which tax is paid and ITC availed	lectared in returns led through FORM FORM GSTR-3B) Inputs Capital Goods Input Services Inputs Capital Goods Input Services Input Services Input Services Input Services	Tax  3  filed duri	Tax / UT Tax 4 ng the fin	Tax 5 ancial year	6
A B C	Details of ITC availed as of Total amount of input tax credit avail GSTR-3B (sum total of Table 4A of Inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs)  Inward supplies received from unregistered persons liable to reverse charge (other than B above)on which tax is paid & ITC availed  Inward supplies received from registered persons liable to reverse charge (other than B above) on which tax is paid and ITC availed  Import of goods (including supplies	leclared in returns led through FORM FORM GSTR-3B) Inputs Capital Goods Input Services Inputs Capital Goods Input Services Input Services Input Services Input Services Inputs Capital Goods Input Services Inputs	Tax  3  filed duri	Tax / UT Tax 4 ng the fin	Tax 5 ancial year	6
A B C	Details of ITC availed as of Total amount of input tax credit avail GSTR-3B (sum total of Table 4A of Inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs)  Inward supplies received from unregistered persons liable to reverse charge (other than B above)on which tax is paid & ITC availed  Inward supplies received from registered persons liable to reverse charge (other than B above) on which tax is paid and ITC availed  Import of goods (including supplies from SEZs)	lectared in returns led through FORM FORM GSTR-3B) Inputs Capital Goods Input Services Inputs Capital Goods Input Services Input Services Input Services Input Services Inputs Capital Goods Input Services Input Services Input Services Input Services Input Services	Tax  3  filed duri	Tax / UT Tax 4 ng the fin	Tax 5 ancial year	6
A B C	Details of ITC availed as of Total amount of input tax credit avail GSTR-3B (sum total of Table 4A of Inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs)  Inward supplies received from unregistered persons liable to reverse charge (other than B above)on which tax is paid & ITC availed  Inward supplies received from registered persons liable to reverse charge (other than B above) on which tax is paid and ITC availed  Import of goods (including supplies	lectared in returns led through FORM FORM GSTR-3B) Inputs Capital Goods Input Services Inputs Capital Goods Input Services Input Services Input Services Input Services Inputs Capital Goods Input Services Input Services Input Services Input Services Input Services	Tax  3  filed duri	Tax / UT Tax 4 ng the fin	Tax 5 ancial year	6
A B C D	Details of ITC availed as of Total amount of input tax credit avail GSTR-3B (sum total of Table 4A of Inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs)  Inward supplies received from unregistered persons liable to reverse charge (other than B above)on which tax is paid & ITC availed  Inward supplies received from registered persons liable to reverse charge (other than B above) on which tax is paid and ITC availed  Import of goods (including supplies from SEZs)  Import of services (excluding inward SEZs)  Input Tax credit received from ISD	leclared in returns led through FORM FORM GSTR-3B) Inputs Capital Goods Input Services Inputs Capital Goods Input Services Input Services Inputs Capital Goods Input Services Inputs Capital Goods Input Services Input Services	Tax  3  filed duri	Tax / UT Tax 4 ng the fin	Tax 5 ancial year	6
A B C D E F	Details of ITC availed as of Total amount of input tax credit avail GSTR-3B (sum total of Table 4A of Inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs)  Inward supplies received from unregistered persons liable to reverse charge (other than B above)on which tax is paid & ITC availed  Inward supplies received from registered persons liable to reverse charge (other than B above) on which tax is paid and ITC availed  Import of goods (including supplies from SEZs)  Import of services (excluding inward SEZs)	leclared in returns led through FORM FORM GSTR-3B) Inputs Capital Goods Input Services Inputs Capital Goods Input Services Input Services Inputs Capital Goods Input Services Inputs Capital Goods Input Services Input Services	Tax  3  filed duri	Tax / UT Tax 4 ng the fin	Tax 5 ancial year	6

J	Difference (I - A above	e)					
J	Transition Credit throu	<u> </u>	ncluding revisions				
K	if any)	· ·	C				
L	Transition Credit throu	gh TRAN-II					
M	Any other ITC availed	but not specifi	ed above				
N	Sub-total (K to M abo	ve)					
О	Total ITC availed (I+	N above)					
_	<b>Details of ITC Revers</b>	ed and Inelig	ible ITC as declare	d in retur	ns filed d	uring the fir	nancial
7	year As per Rule 37		<u> </u>	<u> </u>			
A	As per Rule 39						
B C	As per Rule 42						
D	As per Rule 43						
	As per section 17(5)						
E F	Reversal of TRAN-I cr	edit					
G	Reversal of TRAN-II c						
Н	Other reversals (pl. spe	ecify)					
I	Total ITC Reversed (A						
J	Net ITC Available for	<u> </u>	) - 7I)				
8			er ITC related info	rmation			
A	ITC as per GSTR-2A(T			<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>
В	ITC as per sum total of			<auto></auto>	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1710107	1710107
В	ITC on inward supplies	s (other than in	nports and inward	7100			
C	supplies liable to rever						
	received from SEZs) reavailed during April to						
- D	Difference [A-(B+C)]	200000000000000000000000000000000000000	,,,,				
D	ITC available but not a	vailed (out of )	D)				
E F	ITC available but inelig	`					
Г	IGST paid on import of	,	<u></u>				
G	SEZ)	· ·	<i>C</i> 11				
	IGST credit availed on	import of goo	ds (as per 6(E)				
Н	above)			<auto></auto>			
I	Difference (G-H)						
T	ITC available but not a to I)	vailed on impo	ort of goods (Equal				
J	Total ITC to be lapsed	in current fina	ncial year				
K	(E+F+J)			<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>
Pt. IV	Details o	of tax paid as d	eclared in returns fil	ed during	the financ	ial year	
	Description	Tax Payable				rough ITC	
			Central	State	Integrated	Cess	
				Tax	Tax / UT	Tax	
9					Tax		
	1	2	3	4	5	6	7
	Integrated Tax						
	Central Tax						
	State/UT Tax						
	Cess						
	Interest						

	Late fee							
	Penalty							
	Other							
Pt. V				ne previous FY decl g of annual return o				
		Descriptio	n	Taxable Value	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
		1		2	3	4	5	6
10	Supplies / t Amendment notes)							
11	Supplies / ta Amendment notes)							
12	Reversal of previous fin							
13	ITC availed financial year		vious					
14		Diffe	rential tax paid	on account of decla	aration in 1	10 & 11 at	oove	
		]	Description		Pay	able	Pai	d
			1		,	2	3	
	Integrated T							
	Central Tax							
	State/UT Ta	ıx						
	Cess							
	Interest							
Pt. VI				Other Informat				
15				s of Demands		funds		
	Details	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess	Interest	Penalty	Late Fee / Others
	1	2	3	4	5			
A	Total Refund claimed							
В	Total Refund sanctioned							
С	Total Refund Rejected							
D	Total Refund Pending							
Е	Total demand of taxes							
F	Total taxes paid in respect of E above							

G	Total demands pending out of E above							
16	Informatio	on on suppli		om composition taxp goods sent on appro		med supp	ly under secti	ion 143
		Details		Taxable Value	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
		1		2	3	4	5	6
A	Supplies red Compositio							
В	Deemed sup	pply under	Section 143					
С	Goods sent not returned		l basis but					
17			HSN Wi	ise Summary of outv	ward suppli	ies		
HSN Code	UQC	Total Quantity	Taxable Value	Rate of Tax	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18			HSN W	ise Summary of Inw	ard suppli	es		
HSN Code	UQC	Total Quantity	Taxable Value	Rate of Tax	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19				Late fee payable and	paid			
		I	Description		Paya	able	Paid	d
			1		2	2	3	
A	Central Tax							
В	State Tax							

### Verification:

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from and in case of any reduction in output tax liability the benefit thereof has been/will be passed on to the recipient of supply.

Place Date Signature Name of Authorised Signatory

Designation / Status

### **Instructions:** –

1. Terms used:

a. GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number

b. UQC: Unit Quantity Code

c. HSN: Harmonized System of Nomenclature Code

2. The details for the period between July 2017 to March 2018 are to be provided in this return.

3. Part II consists of the details of all outward supplies & advances received during the financial year for which the annual return is filed. The details filled in Part II is a consolidation of all the supplies declared by the taxpayer in the returns filed during the financial year. The instructions to fill Part II are as follows:

Table	Instructions
No.	
4A	Aggregate value of supplies made to consumers and unregistered persons on which tax has been paid shall be declared here. These will include details of supplies made through E-Commerce operators and are to be declared as net of credit notes or debit notes issued in this regard. Table 5, Table 7 along with respective amendments in Table 9 and Table 10 of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4B	Aggregate value of supplies made to registered persons (including supplies made to UINs) on which tax has been paid shall be declared here. These will include supplies made through E-Commerce operators but shall not include supplies on which tax is to be paid by the recipient on reverse charge basis. Details of debit and credit notes are to be mentioned separately. Table 4A and Table 4C of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4C	Aggregate value of exports (except supplies to SEZs) on which tax has been paid shall be declared here. Table 6A of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4D	Aggregate value of supplies to SEZs on which tax has been paid shall be declared here. Table 6B of GSTR-1 may be used for filling up these details.
4E	Aggregate value of supplies in the nature of deemed exports on which tax has been paid shall be declared here. Table 6C of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4F	Details of all unadjusted advances i.e. advance has been received and tax has been paid but invoice has not been issued in the current year shall be declared here. Table 11A of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4G	Aggregate value of all inward supplies (including advances and net of credit and debit notes) on which tax is to be paid by the recipient (i.e.by the person filing the annual return) on reverse charge basis. This shall include supplies received from registered

	persons, unregistered persons on which tax is levied on reverse
	charge basis. This shall also include aggregate value of all import
	of services. Table 3.1(d) of FORM GSTR-3B may be used for
	filling up these details.
4I	Aggregate value of credit notes issued in respect of B to B
	supplies (4B), exports (4C), supplies to SEZs (4D) and deemed
	exports (4E) shall be declared here. Table 9B of FORM GSTR-1
	may be used for filling up these details.
4J	
45	Aggregate value of debit notes issued in respect of B to B
	supplies (4B), exports (4C), supplies to SEZs (4D) and deemed
	exports (4E) shall be declared here. Table 9B of FORM GSTR-1
	may be used for filling up these details.
4K &	Details of amendments made to B to B supplies (4B), exports
4L	(4C), supplies to SEZs (4D) and deemed exports (4E), credit
	notes (4I), debit notes (4J) and refund vouchers shall be declared
	here. Table 9A and Table 9C of FORM GSTR-1 may be used for
	filling up these details.
5A	Aggregate value of exports (except supplies to SEZs) on which
311	tax has not been paid shall be declared here. Table 6A of FORM
5D	GSTR-1 may be used for filling up these details.
5B	Aggregate value of supplies to SEZs on which tax has not been
	paid shall be declared here. Table 6B of GSTR-1 may be used for
	filling up these details.
5C	Aggregate value of supplies made to registered persons on which
	tax is payable by the recipient on reverse charge basis. Details of
	debit and credit notes are to be mentioned separately. Table 4B
	of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5D,5E	Aggregate value of exempted, Nil Rated and Non-GST supplies
and 5F	shall be declared here. Table 8 of FORM GSTR-1 may be used
	for filling up these details. The value of "no supply" shall also be
	declared here.
5H	Aggregate value of credit notes issued in respect of supplies
311	
	declared in 5A,5B,5C, 5D, 5E and 5F shall be declared here.
	Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these
	details.
5I	Aggregate value of debit notes issued in respect of supplies
	declared in 5A,5B,5C, 5D, 5E and 5F shall be declared here.
	Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these
	details.
5J & 5K	Details of amendments made to exports (except supplies to
	SEZs) and supplies to SEZs on which tax has not been paid shall
	be declared here. Table 9A and Table 9C of FORM GSTR-1 may
	be used for filling up these details.
5N	
314	Total turnover including the sum of all the supplies (with
	additional supplies and amendments) on which tax is payable and
	tax is not payable shall be declared here. This shall also include
	amount of advances on which tax is paid but invoices have not
	been issued in the current year. However, this shall not include
	the aggregate value of inward supplies on which tax is paid by
	the recipient (i.e. by the person filing the annual return) on
	reverse charge basis.
L	

4. Part III consists of the details of all input tax credit availed and reversed in the financial year for which the annual return is filed. The instructions to fill Part III are as follows:

Table	Instructions
No.	
6A	Total input tax credit availed in Table 4A of FORMGSTR-3B for
	the taxpayer would be auto-populated here.
6B	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies
	except those on which tax is payable on reverse charge basis but
	includes supply of services received from SEZs shall be declared
	here. It may be noted that the total ITC availed is to be classified
	as ITC on inputs, capital goods and input services. Table 4(A)(5)
	of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
	This shall not include ITC which was availed, reversed and then
	reclaimed in the ITC ledger. This is to be declared separately
	under 6(H) below.
6C	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies
	received from unregistered persons (other than import of
	services) on which tax is payable on reverse charge basis shall be
	declared here. It may be noted that the total ITC availed is to be
	classified as ITC on inputs, capital goods and input services.
	Table 4(A)(3) of FORM GSTR-3B may be used for filling up
	these details.
6D	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies
	received from registered persons on which tax is payable on reverse charge basis shall be declared here. It may be noted that
	the total ITC availed is to be classified as ITC on inputs, capital
	goods and input services. Table 4(A)(3) of FORM GSTR-3B
	may be used for filling up these details.
6E	Details of input tax credit availed on import of goods including
	supply of goods received from SEZs shall be declared here. It may be noted that the total ITC availed is to be classified as ITC
	on inputs and capital goods. Table 4(A)(1) of FORM GSTR-3B
	may be used for filling up these details.
6F	Details of input tax credit availed on import of services
	(excluding inward supplies from SEZs) shall be declared here.
	Table 4(A)(2) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
6G	Aggregate value of input tax credit received from input service
00	distributor shall be declared here. Table 4(A)(4) of FORM
	GSTR-3B may be used for filling up these details.
6H	Aggregate value of input tax credit availed, reversed and
	reclaimed under the provisions of the Act shall be declared here.
6J	The difference between the total amount of input tax credit
	availed through FORM GSTR-3B and input tax credit declared in
	row B to H shall be declared here. Ideally, this amount should be
	zero.

6K	Details of transition credit received in the electronic credit ledger
	on filing of FORM GST TRAN-I including revision of TRAN-I
	(whether upwards or downwards), if any shall be declared here.
6L	Details of transition credit received in the electronic credit ledger
	after filing of FORM GST TRAN-II shall be declared here.
6M	Details of ITC availed but not covered in any of heads specified
OIVI	under 6B to 6L above shall be declared here. Details of ITC
	availed through FORM ITC-01 and FORM ITC-02 in the
	financial year shall be declared here.
7A, 7B,	Details of input tax credit reversed due to ineligibility or
7C, 7D,	reversals required under rule 37, 39,42 and 43 of the CGST
7E, 7F,	Rules, 2017 shall be declared here. This column should also
7G and	contain details of any input tax credit reversed under section
7H	17(5) of the CGST Act, 2017 and details of ineligible transition credit claimed under FORM GST TRAN-I or FORM GST
	TRAN-II and then subsequently reversed. Table 4(B) of FORM
	GSTR-3B may be used for filling up these details. Any ITC
	reversed through FORM ITC -03 shall be declared in 7H.
8A	The total credit available for inwards supplies (other than imports
	and inwards supplies liable to reverse charge but includes
	services received from SEZs) received during 2017-18 and
	reflected in FORM GSTR-2A (table 3 & 5 only) shall be auto-
	populated in this table. This would be the aggregate of all the
	input tax credit that has been declared by the corresponding
	suppliers in their FORM GSTR-I.
8B	The input tax credit as declared in Table 6B and 6Hshall be auto-
	populated here.
8C	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies
	(except those on which tax is payable on reverse charge basis but
	includes supply of services received from SEZs) received during
	July 2017 to March 2018 but credit on which was availed
	between April to September 2018 shall be declared here. Table
	4(A)(5) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these
OF 0	details.
8E &	Aggregate value of the input tax credit which was available in
8F	FORM GSTR-2A(table 3 & 5 only) but not availed in any of the FORM GSTR-3B returns shall be declared here. The credit shall
	be classified as credit which was available and not availed or the
	credit was not availed as the same was ineligible. The sum total
	of both the rows should be equal to difference in 8D.
8G	Aggregate value of IGST paid at the time of imports (including
	imports from SEZs) during the financial year shall be declared
	here.
8H	The input tax credit as declared in Table 6E shall be auto-
	populated here.
8K	The total input tax credit which shall lapse for the current
	financial year shall be computed in this row.
L	F CONTROL OF THE PARTY

5. Part IV is the actual tax paid during the financial year. Payment of tax under Table 6.1 of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.

6. Part V consists of particulars of transactions for the previous financial year but declared in the returns of April to September of current FY or date of filing of Annual Return for previous financial year (for example in the annual return for the FY 2017-18, the transactions declared in April to September 2018 for the FY 2017-18 shall be declared), whichever is earlier. The instructions to fill Part V are as follows:

Table	Instructions
No.	
10 & 11	Details of additions or amendments to any of the supplies already
	declared in the returns of the previous financial year but such
	amendments were furnished in Table 9A, Table 9B and Table 9C
	of FORM GSTR-1 of April to September of the current financial
	year or date of filing of Annual Return for the previous financial
	year, whichever is earlier shall be declared here.
12	Aggregate value of reversal of ITC which was availed in the
	previous financial year but reversed in returns filed for the
	months of April to September of the current financial year or
	date of filing of Annual Return for previous financial year,
	whichever is earlier shall be declared here. Table 4(B) of FORM
	GSTR-3B may be used for filling up these details.
13	Details of ITC for goods or services received in the previous
	financial year but ITC for the same was availed in returns filed
	for the months of April to September of the current financial year
	or date of filing of Annual Return for the previous financial year
	whichever is earlier shall be declared here. Table 4(A) of FORM
	GSTR-3B may be used for filling up these details.

7. Part VI consists of details of other information. The instructions to fill Part VI are as follows:

Table	Instructions
No.	
15A,	Aggregate value of refunds claimed, sanctioned, rejected and
15B,	pending for processing shall be declared here. Refund claimed
15C and	will be the aggregate value of all the refund claims filed in the
15D	financial year and will include refunds which have been
	sanctioned, rejected or are pending for processing. Refund
	sanctioned means the aggregate value of all refund sanction
	orders. Refund pending will be the aggregate amount in all
	refund application for which acknowledgement has been received
	and will exclude provisional refunds received. These will not
	include details of non-GST refund claims.
15E,	Aggregate value of demands of taxes for which an order
15F and	confirming the demand has been issued by the adjudicating
15G	authority shall be declared here. Aggregate value of taxes paid

	out of the total value of confirmed demand as declared in 15E
	above shall be declared here. Aggregate value of demands
	pending recovery out of 15E above shall be declared here.
16A	Aggregate value of supplies received from composition taxpayers
	shall be declared here. Table 5 of FORM GSTR-3B may be used
	for filling up these details.
16B	Aggregate value of all deemed supplies from the principal to the
	job-worker in terms of sub-section (3) and sub-section (4) of
	Section 143 of the JGST Act shall be declared here.
16C	Aggregate value of all deemed supplies for goods which were
	sent on approval basis but were not returned to the principal
	supplier within one eighty days of such supply shall be declared
	here.
17 & 18	Summary of supplies effected and received against a particular
	HSN code to be reported only in this table. It will be optional for
	taxpayers having annual turnover upto 1.50 Cr. It will be
	mandatory to report HSN code at two digits level for taxpayers
	having annual turnover in the preceding year above 1.50 Cr but
	upto 5.00 Cr and at four digits' level for taxpayers having
	annual turnover above [] 5.00 Cr. UQC details to be furnished
	only for supply of goods. Quantity is to be reported net of
	returns. Table 12 of FORM GSTR-1 may be used for filling
	up details in Table 17.
19	Late fee will be payable if annual return is filed after the due
	date.

	FORM GSTR-9A (See rule 80) Annual Return (For Composition Taxpayer)							
Pt. I	Basic Details							
1	Financial Year		Dasie L	octaris				
2	GSTIN							
3A	Legal Name	<auto></auto>						
3B	Trade Name (if any)	<auto></auto>						
313	Period of composition	scheme during	g the year					
4	(From)							
5	Aggregate Turnover of	Previous Fin	ancial Year					
					(Ar	nount in 🗆 in	all tables)	
Pt. II	Details of outward		upplies decla	red in retu	ırns filed durir	ng the financi	al year	
	Description	Turnover	Rate of Tax	Central Tax	State / UT Tax	Integrated tax	Cess	
		_						
	1	2	3	4	5	6	7	
6	Details of Outward	supplies on w	hich tax is p financia		declared in ret	turns filed du	ring the	
A	Taxable							
В	Exempted, Nil-rated							
С	Total							
7	Details of inward sup				erse charge ba		bit/credit	
	Description	Taxable	Central		State Tax /	Integrated	Cess	
		Value			UT Tax	Tax		
	1	2	3		4	5	6	
A	Inward supplies liable to reverse							
11	charge received from registered persons							
	Inward supplies							
В	liable to reverse charge received from							
	unregistered persons							
С	Import of services							
_	Net Tax Payable on							
D	(A), (B) and (C) above							
8	Details of other inward supplies as declared in returns filed during the financial year							
	Inward supplies from							
A	registered persons (other than 7A							
	above)							
В	Import of Goods							
Pt. III	Details of	tax paid as de	eclared in ret	urns filed	during the fin	ancial year		
9	Description		Total tax payable		Paid			
	1		2		3			
	Integrated Tax							
	Central Tax							
	State/UT Tax							

	Cess							
	Interest							
	Late fee							
	Penalty							
Pt. IV	current	FY or upt	o date of filin	g of annual	return of p	ed in returns of previous FY w	hichever is e	
		Description	1	Turnover	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
		1		2	3	4	5	6
10	Supplies / tax (outward) declared through Amendments (+) (net of debit notes)							
11	Inward suppl charge declar Amendments notes)	red throug s (+) (net o	h of debit					
12	Supplies / tax through Amendments notes)	s (-) (net o	f credit					
13	Inward suppl charge reduce Amendments notes)	ed through	า					
14	Dif	ferential ta	ax paid on acc	count of decl	aration ma	ade in 10, 11,	12 & 13 abov	⁄e
		Desc	ription		Payable P		Pa	id
	1				2 3			3
	Integrated Tax  Central Tax							
	State/UT Tax	ζ						
	Cess							
	Interest							
Pt. V				Other Inf	ormation		'	
15			Partic	ulars of Dem	ands and l	Refunds		
	Description	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess	Interest	Penalty	Late Fee / Others
	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Total Refund claimed							
В	Total Refund sanctioned							
С	Total Refund Rejected							
D	Total Refund Pending							
Е	Total demand of taxes							

F	Total taxes paid in respect of E above							
G	Total demands pending out of E above							
16			Detail	s of credit re	versed or	availed		
	Description				Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1				2	3	4	5
A	Credit reversed on opting in the composition scheme (-)			position				
В	Credit availed on opting out of the composition scheme (+)							
17	Late fee payable and paid							
	Description			Pa	ayable	Pai	d	
	1				2	3		
A	Central Tax							
В	State Tax							

# Verification:

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from and in case of any reduction in output tax liability the benefit thereof has been/will be passed on to the recipient of supply.

Place	Signature
	Name of Authorised Signatory
Date	Designation / Status

### **Instructions:** –

- 1. The details for the period between July 2017 to March 2018 shall be provided in this return.
- 2. Part I consists of basic details of taxpayer. The instructions to fill Part I are as follows:

Table	Instructions
No.	
5	Aggregate turnover for the previous financial year is the turnover
	of the financial year previous to the year for which the return is
	being filed. For example for the annual return for FY 2017-18,
	the aggregate turnover of FY 2016-17 shall be entered into this
	table. It is the sum total of turnover of all taxpayers registered on
	the same PAN.

3. Part II consists of the details of all outward and inward supplies in the financial year for which the annual return is filed. The instructions to fill Part II are as follows:

Table	Instructions
No.	
6A	Aggregate value of all outward supplies net of debit notes / credit
	notes, net of advances and net of goods returned for the entire
	financial year shall be declared here. Table 6 and Table 7 of
	FORM GSTR-4 may be used for filling up these details.
6B	Aggregate value of exempted, Nil Rated and Non-GST supplies
	shall be declared here.
7A	Aggregate value of all inward supplies received from registered
	persons on which tax is payable on reverse charge basis shall be
	declared here. Table 4B, Table 5 and Table 8A of FORM GSTR-
	4 may be used for filling up these details.
7B	Aggregate value of all inward supplies received from
	unregistered persons (other than import of services) on which tax
	is payable on reverse charge basis shall be declared here. Table
	4C, Table 5 and Table 8A of FORM GSTR-4 may be used for
	filling up these details.
7C	Aggregate value of all services imported during the financial year
	shall be declared here. Table 4D and Table 5 of FORM GSTR-4
	may be used for filling up these details.
8A	Aggregate value of all inward supplies received from registered
	persons on which tax is payable by the supplier shall be declared
	here. Table 4A and Table 5 of FORM GSTR-4 may be used for
	filling up these details.
8B	Aggregate value of all goods imported during the financial year
	shall be declared here.

4. Part IV consists of the details of amendments made for the supplies of the previous financial year in the returns of April to September of the current FY or date of filing of Annual Return for previous financial year (for example in the annual return for the FY 2017-18, the transactions declared in April to September 2018 for the FY 2017-18 shall be declared), whichever is earlier. The instructions to fill Part V are as follows:

Table No.	Instructions
	Details of additions or amendments to any of the supplies
10,11,12,13	already declared in the returns of the previous financial year
and 14	but such amendments were furnished in Table 5 (relating to
	inward supplies) or Table 7(relating to outward supplies) of
	FORM GSTR- 4 of April to September of the current
	financial year or upto the date of filing of Annual Return for
	the previous financial year, whichever is earlier shall be
	declared here.

5. Part V consists of details of other information. The instruction to fill Part V are as follows:

Table	Instructions
No.	
15A,	Aggregate value of refunds claimed, sanctioned, rejected and
15B,	pending for processing shall be declared here. Refund claimed
15C and	will be the aggregate value of all the refund claims filed in the
15D	financial year and will include refunds which have been
	sanctioned, rejected or are pending for processing. Refund
	sanctioned means the aggregate value of all refund sanction
	orders. Refund pending will be the aggregate amount in all
	refund application for which acknowledgement has been received
	and will exclude provisional refunds received. These will not
	include details of non-GST refund claims.
15E,	Aggregate value of demands of taxes for which an order
15F and	confirming the demand has been issued by the adjudicating
15G	authority has been issued shall be declared here. Aggregate value
	of taxes paid out of the total value of confirmed demand in 15E above shall be declared here. Aggregate value of demands
	pending recovery out of 15E above shall be declared here.
16A	Aggregate value of all credit reversed when a person opts to pay
	tax under the composition scheme shall be declared here. The
	details furnished in FORM ITC-03 may be used for filling up
16B	•• •
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
17	
' '	date.";
16B	details furnished in FORM ITC-03 may be used for filling up these details.  Aggregate value of all the credit availed when a registered person opts out of the composition scheme shall be declared here. The details furnished in FORM ITC-01 may be used for filling up these details.  Late fee will be payable if annual return is filed after the due

11. In the said rules, in **FORM GST EWB-01**, in the Notes, in serial number 7, in the Table, against Code 4 in the first column, for the letters and word "SKD or CKD" in the second column, the letters and words "SKD or CKD or supply in batches or lots" shall be substituted.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2018] By the order of the Governor of Jharkhand,

# K. K. Khandelwal,

Additional Chief Secretary

**Note:-** The principal rules were published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary vide notification No. 3/2017- State Tax, dated the 20<sup>th</sup> June, 2017, published vide S.O. No. 28 dated the 20<sup>th</sup> June, 2017 and last amended vide notification No. 29/2018- State Tax, dated the 26<sup>th</sup> July, 2018, published vide S.O. No. 47, dated the 26<sup>th</sup> July, 2018.

\_\_\_\_\_

# वाणिज्य-कर विभाग

# अधिसूचना 4 अक्टूबर, 2018

# अधिसूचना संo. 39/2018- राज्य कर

- एस. ओ. सं. 71. दिनांक 4 अक्टूबर, 2018- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--
  - 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियमावली, 2018 है।
    - (2) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम 4 सितंबर, 2018 से प्रवृत्त होंगे ।
  - 2. झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 22 के उपनियम (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु जहां कोई व्यक्ति, धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन के लिए उपनियम (1) के अधीन तामील की गई सूचना का उत्तर देने के बजाए, सभी लंबित विवरणियां देता है और लागू ब्याज और विलंब शुल्क के साथ शोध्य कर का पूरा संदाय कर देता है, वहां उचित अधिकारी, कार्यवाहियों को समाप्त कर देगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी-20 में आदेश पारित करेगा।"

**3.** उक्त नियमावली के नियम 36 के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

"परंतु यदि उक्त दस्तावेज में सभी विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अंतर्विष्ट नहीं है, किंतु प्रभारित कर की रकम के ब्यौरे, माल या सेवाओं का विवरण, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय का कुल मूल्य, प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता का माल और सेवा कर पहचान संख्यांक और अंतर्राज्यिक प्रदाय की दशा में प्रदाय का स्थान अंतर्विष्ट है तो, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया जा सकेगा।"।

- 4. उक्त नियमावली के नियम 55 के उपनियम (5) में, "या पूर्णतया नाक्ड-डाऊन स्थिति" शब्दों के पश्चात्, "या बैचों अथवा लाटों" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
- 5. उक्त नियमावली के नियम 89 के उपनियम (4) के खंड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--
  - '(3) "समायोजित कुल आवर्त" से, सुसंगत अवधि के दौरान--

- (क) धारा 2 के खंड (112) के अधीन यथा परिभाषित, किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त का, सेवाओं के आवर्त को छोड़कर ; और
- (ख) उपरोक्त खंड (ई) के निबंधनों में अवधारित सेवाओं के शून्य-दर प्रदाय और सेवाओं के गैर-शून्य दर प्रदाय के आवर्त

के मूल्य का कुल योग अभिप्रेत है, जिसमें,--

- (i) शून्य-दर प्रदायों से भिन्न छूट प्राप्त प्रदायों का मूल्य ; और
- (ii) ऐसे प्रदायों का आवर्त, जिनके संबंध में उपनियम (43) या उपनियम (431) या दोनों के अधीन प्रतिदाय, यदि कोई हो, का दावा किया गया है,

# सम्मिलित नहीं है।'।

- 6. उक्त नियमावली के नियम 96 के उपनियम (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम, 23 अक्तूबर, 2017 से रखा जाएगा, अर्थात् :--
  - "(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्तियों को,--
    - (क) ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर झारखण्ड सरकार के वाणिज्य-कर विभाग की, एस. ओ. सं. 113, तारीख 24 अक्तूबर, 2017 द्वारा झारखण्ड के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित या अधिसूचना सं. 40/2017- राज्य कर (दर), तारीख 07 नवंबर, 2017 जो एस. ओ. सं. 120, तारीख 07 नवंबर, 2017 झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, द्वारा प्रकाशित या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 1321(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 के फायदों का उपयोग किया है; या
    - (ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.िन. 1272(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.िन. 1299(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 के फायदों का उपयोग नहीं करना चाहिए।"।
- 7. उक्त नियमावली के नियम 138क के उपनियम (1) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि आयातित माल की दशा में, प्रवहण का भारसाधक व्यक्ति, ऐसे माल के आयातकर्ता द्वारा फाइल किए गए प्रवेश पत्र की प्रति का भी वहन करेगा और प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में प्रवेश पत्र की संख्या और तारीख उपदर्शित करेगा।"। 8. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-20 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात :--

# "जीएसटी आरईजी-20 [नियम 22(4) देखें]

संदर्भ संख्या - तारीख:

सेवा में

नाम

पता

माल और सेवा कर पहचान संख्यांक/यूआईएन

कारण बताओं सूचना संख्या -

तारीख:

# रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण हेतु कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए आदेश

<< पाठ >>

या

उपर निर्दिष्ट कारण बताओ सूचना झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए जारी की गई थी । चूंकि आपने पूर्वोक्त सूचना के जारी करने की तारीख को बकाया सभी लंबित विवरणियां फाइल कर दी हैं, और लागू ब्याज और विलंब फीस के साथ कर का पूर्ण संदाय कर दिया है, अत: रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां समाप्त की जाती हैं।

हस्ताक्षर < अधिकारी का नाम >

> पदनाम अधिकारिता

स्थान :

तारीख: "।

9. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आईटीसी-04 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

# "जीएसटी आईटीसी-04

# [नियम 45(3) देखें]

# छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजे गए और उससे वापस प्राप्त माल/पूंजी माल के ब्यौरे

- 1. माल और सेवा कर पहचान संख्यांक --
- 2. (क) विधिक नाम -
  - (ख) व्यापार का नाम, यदि कोई है -
- 3. अवधि: तिमाही- वर्ष-
- 4. छूटपूट कार्य के लिए भेजे गए इनपुटों/पूंजी माल के ब्यौरे (जिसमें छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार के कारबार के स्थान/परिसर पर सीधे भेजे गए इनप्ट/पूंजी माल भी हैं) :

कर	Ϊ́	वाले							प्रकार		कर की	दर %	
माल और सेवा	पहचान संख्यांक/अरजिस्ट्रीकृत	छ्रटपूट कार्य करने	चालान संख्यांक	चालान तारीख	माल का विवरण	यून्यूसी	मात्रा	कराधेय मूल्य	माल का प्र (इनपुट/प्ंजी माल)	केंद्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 5. छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार से वापस प्राप्त या छूटपूट कार्य के कारबार के स्थान से बाहर भेजे गए इनपुटों/पूंजी माल के ब्यौरे :
  - (क) छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार से, जिसे ऐसा माल छूटपूट कार्य के लिए भेजा गया था, वापस प्राप्त इनपुटों/पूंजी माल ; और नुकसानों और अपशिष्टों के ब्यौरे :

ंख्यांक/छूटपूट अरजिस्ट्रीकृत	र द्वारा जारी । माल वापस	र द्वारा जारी अधीन माल रीख			अधीन मात था	. अधीन माल था	र द्वारा किए	नुक अ अर्पा	रि
माल और सेवा कर पहचान संख्यांक/छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार, यदि अरजिस्ट्रीकृत है, का राज्य	छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी चालान संख्यांक, जिसके अधीन माल वापस प्राप्त हुआ है	छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी चालान की तारीख, जिसके अधीन माल वापस प्राप्त हुआ है चालान तारीख	माल का विवरण यूक्यूसी	मात्रा	मूल चालान संख्यांक, जिसके छूटपूट कार्य के लिए भेजा गया	मूल चालान की तारीख, जिसके छ्टपूट कार्य के लिए भेजा गया	छ्टपूट कार्य करने वाले कर्मकार गए छ्टपूट कार्य की प्रकृति	यून्यूसी	मात्रा
1	2*	3*	4 5	6	7*	8*	9	10	11

(ख) छूटपूट कार्य करने वाले ऐसे कर्मकार से, जिसे मूल रूप से ऐसा माल छूटपूट कार्य के लिए भेजा गया था, भिन्न छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार से वापस प्राप्त इनपुटों/पूंजी माल ; और नुकसानों और अपशिष्टों के ब्यौरे :

कर पहचान करने वाले ट्रीकृत है, का	कर्मकार द्वारा जिसके अधीन	कर्मकार द्वारा , जिसके अधीन	॥ है चालान			संख्यांक, जिसके अधीन कार्य के लिए भेजा गया	जिसके अधीन लिए भेजा गया	कर्मकार द्वारा ने प्रकृति	नुक अं अर्पा	सान रि शेष्ट
माल और सेवा कर संख्यांक/छूटपूट कार्य करक कर्मकार, यदि अरजिस्ट्रीकृत राज्य	छ्रटपूट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी चालान संख्यांक, जिसके अधीन माल वापस प्राप्त हुआ है		माल वापस प्राप्त हुआ तारीख	माल का विवरण	यूक्यूसी मात्रा	मूल चालान संख्यांक, माल छुटपूट कार्य के था	मूल चालान की तारीख, जिसके अधीन माल छूटपूट कार्य के लिए भेजा गया था	छ़्टपूट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा किए गए छ्टपूट कार्य की प्रकृति	यूक्यूसी	मात्रा
1	2*	3*	4	5	6	7*	8*	9	10	11

(ग) छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजे गए और तत्पश्चात् छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार के परिसर से प्रदाय किए गए इनपुटों/पूंजी माल ; और नुकसानों और अपशिष्टों के ब्यौरे :

यांक/छ्रुटपूट ार, यदि	करने वाले में बीजक	पूट कार्य करने वाले की दशा में बीजक				अधीन माल ' था	म्के अधीन गया था	कार द्वारा	नुक ओ अर्पा	सान रेर शेष्ट
माल और सेवा कर पहचान संख्यांक/छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार, यदि अरजिस्ट्रीकृत है, का राज्य	प्रमुख द्वारा जारी छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा प्रदाय की दशा में बीजक संख्यांक	रा जारी छूट ख़ारा प्रदाय	वेवरण			संख्यांक, जिसके के लिए भेजा गया	मूल चालान की तारीख, जिसके अध माल छूटपूट कार्य के लिए भेजा गया था	छुटपूट कार्य करने वाले कर्मकार किए गए छुटपूट कार्य की प्रकृति		
माल और कार्य ब अरजिस्ट्री	प्रमुख द्व कर्मकार ट संख्यांक	प्रमुख द्वा कर्मकार ट की तारीख	माल का विवरण	युक्यूसी	मात्रा	मूल चालान छुटपूट कार्य	मूल चाल माल छुटपू	छ्डटपूट क किए गए	यूक्यूसी	मात्रा
1	2	3	4	5	6	7*	8*	9	10	11

# अनुदेश :

- 1. एकल चालान के लिए मदों की बहु प्रविष्टियां भरी जाएं।
- 2. उन मामलों में, जिनमें छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा नए चालान जारी करना अपेक्षित है, सारणी (क) और सारणी (ख) के स्तंभ 2 और स्तंभ 3 आज्ञापक है।
- 3. जहां छुटफुट कार्य के लिए भेजे गए माल और छुटफुट कार्य के बाद प्राप्त माल के बीच आपस में पत्राचार संभव नहीं है, वहां सारणी (क), सारणी (ख) और सारणी (ग) के स्तंभ 7 और स्तंभ 8 न भरे जाएं।

# 6. सत्यापन

मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

स्थान : तारीख

> हस्ताक्षर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम...... पदनाम/प्रास्थिति

10. उक्त नियमावली में, प्ररुप जीएसटी आर-8 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

<u>उपाबंध-क</u> वार्षिक विवरणी

	"प्ररूप जी एस टी आर-9									
(नियम 80 देखें)										
वार्षिक विवरणी										
पीटी. ।	मूल ब्यौरे									
1	वित्तीय वर्ष									
2	जी एस टी आई एन									
3क	विधिक नाम									
3ख	. `	व्यापार नाम (यदि कोई								
0.0	हो) वित्तीय वर्ष के दौरान घोषित जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे									
पीटी॥	वित्तीय	वर्ष के दौरान	न घोषित जाव							
				(सभी सारणि	यों में रकम रुप	पये में)				
	प्रदायों की प्रकृति	कराधेय	केंद्रीय कर	राज्यकर/ससंघ	एकीकृत कर	उपकर				
	प्रदासा सम प्रसृतिहा	मूल्य		(104 417 47)		3447				
	1	2	3	4	5	6				
	वित्तीय वर्ष के दौरा	न फाइल विव	वरणी में जो	घोषित कर के रु	प में संदेय है,	पर अग्रिम,				
4		आवक	और जावक	प्रदाय के ब्यौरे						

क	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदाय (ख2ग)			
ख	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदाय (ख2ख)			
ग	कर संदाय (विशेष आर्थिक जोनों से भिन्न) शून्य रेटेड प्रदाय (निर्यात)			
घ	कर संदाय पर विशेष आर्थिक जोन को प्रदाय			
ਭ.	समझा गया निर्यात			
ਧ	अग्रिम जिस पर कर संदत्त हैं, परंतु बीजक जारी नहीं किए गए हैं (उपर्युक्त (क) से (ड.) के अधीन			

	——————————————————————————————————————			
	समावेशित नहीं है			
	आवक प्रदाय जिस			
	पर रिवर्स भार के			
छ	आधार पर कर संदत्त			
	किया जाना है			
	आंशिक योग			
ਤ	(उपर्युक्त क से छ			
	तक)			
	उपर्युक्त (ख) से (ड.)	 		_
ar l	में विनिर्दिष्ट			
झ	संव्यवहारों के संबंध			
	में जारी साखपत (-)			
	उपर्युक्त (ख) से (ड.)			
	में विनिर्दिष्ट			
ਤ	संव्यवहारों के संबंध			
	में जारी नामे नोट			
	(+)			
	संशोधनों (+) के			
ਟ	माध्यम से घोषित			
	प्रदाय / कर			
	संशोधनों (-) के			
ਠ	माध्यम से घटी हुई			
	प्रदाय / कर			
ਤ	(उपर्युक्त झ से ठ)			
3	का आंशिक योग			
	प्रदाय और अग्रिम			
ढ	जिस पर संदत्त किया			
	जाना है, उपर्युक्त			
	(ज+ड)			

# ऐसे जावक प्रदायों के ब्यौरे जिस पर, वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई विवरणियों में यथाघोषित कर संदेय नहीं है

	कर संदाय के बिना			
क	शून्य रेटेड प्रदाय			
	(निर्यात)			
	कर संदाय के बिना			
ख	विशेष आर्थिक जोनों			
	की प्रदाय			
	प्रदाय जिस पर उलटे			
ग	गए भार के आधार			
	पर प्राप्तिकर्ता द्वारा			

	संदाय किया जाना है			
घ	छूट-प्राप्त			
ਤ.	शून्य रेटेड			
च	गैर - जी एस टी			
4	प्रदाय			
छ	आंशिक योग			
<u> </u>	(उपर्युक्त क से छ)			
	उपर्युक्त (क) से (छ)			
ज	में विनिर्दिष्ट			
	संव्यवहारों के संबंध			
	में जारी साखपत (-)			
	उपर्युक्त (क) से (छ)			
-	में विनिर्दिष्ट			
झ	संट्यवहारों के संबंध में जारी नामे नोट			
	(+) संशोधनों (+) के			
ञ	माध्यम से घोषित			
51	प्रदाय			
	संशोधनों (-) के			
ਟ	माध्यम से घटी हुई			
	प्रदाय			
_	आंशिक योग			
ਠ	(उपर्युक्त ज से ट)			
	आवर्तन जिस पर			
ਤ	संदत्त किया जाना है,			
	उपर्युक्त (छ+ढ)			
	कुल आवर्तन (अग्रिम			
ढ	सहित) उपर्युक्त 4ढ			
	+ 5ਭ -4छ)			

# पीटी. ।।। वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणियों में घोषित रुप में आई टीसी के ब्यौरे

विवरण	प्रकार	केंद्रीय कर	राज्यकर/ससं घ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6

वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणियों में घोषित रुप में उपयोग किए गए आई टीसी के ब्यौरे

क	प्ररूप जी एस टी आ माध्यम से उपभोग की कर प्रत्यय की कुल र जी एस टी आर - 3ख	गई निवेश कम (प्ररुप				
	4क कर कुल उ	<आटो>	<आटो>	< आटो >	< आटो >	
ख	आवक प्रदाय (रिवर्स भार के लिए दायी आयातों और आवक प्रदायों से भिन्न परंतु विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाएं सम्मिलित हैं)	निवेश पूंजी माल निवेश सेवाएं				
ग	रिवर्स भार (उपर्युक्त ख से भिन्न) के लिए दायी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय जिस पर कर संदत्त है और आई टीसी का उपभोग किया गया है	निवेश पूंजी माल निवेश सेवाएं				
घ	रिवर्स भार (उपर्युक्त ख से भिन्न) के लिए दायी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय जिस पर कर संदत्त है और आई टीसी का उपभोग किया गया है	निवेश पूंजी माल निवेश सेवाएं				
ਤ.	मालों का आयात (विशेष आर्थिक जोनों से प्रदाय शामिल)	निवेश पूंजी माल				
च	सेवाओं का आयात (वि जोनों से आवक प्रदाय					
छ	आई एस डी से प्राप्त प्रत्यय					
ਤ	अधिनियम के उपबंधों पुननिर्मित आई टी सी (उपर्युक्त ख से र्र					
झ	आंशिक योग (उपर्युक्त					
ਤ	अंतर (उपर्युक्त इ					
ट	टी आर ए एन- । के संक्रमण प्रत्यय (पुनरी१ यदि कोई हो	भण सहित,				

ठ	टी आर ए एन- II के माध्यम से संक्रमण प्रत्यय		
ਤ	उपभोग की गई किन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं की गई कोई अन्य आईटीसी		
ढ	आंशिक योग (उपर्युक्त ट से ड तक)		
ण	उपभोग की गई कुल आई टी सी (उपर्युक्त झ + ढ)		

# वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणियों में घोषित रुप में प्रतिवर्ती आई टी सी के और अपात्र आई टी सी के ब्यौरे

क	नियम 37 के अनुसार		
ख	नियम 39 के अनुसार		
ग	नियम 42 के अनुसार		
घ	नियम 43 के अनुसार		
ਭ.	धारा 17 (5) के अनुसार		
च	टीआर ए एन - । प्रत्यय का		
ч	<u> उलटाव</u>		
छ	टीआर ए एन - । । प्रत्यय का		
5,	उलटाव		
ज	अन्य उलटाव (कृपया विनिर्दिष्ट		
OI .	करें)		
झ	कुल प्रतिवर्तित आई सी टी		
रू।	(उपर्युक्त क से ज)		
ञ	उपयोग के लिए उपलब्ध शुद्ध आई		
Э	टी सी (6ण-7झ)		

# 8 सूचना से संबंधित अन्य आई टी सी

क	जी एस टी आर -2क के अनुसार				
প	आई टी सी	<आटो>	<आटो>	< आटो >	< आटो >
ख	उपर्युक्त 6(ख) और 6(ज) की कुल				
G	रकम के अनुसार आई टी सी	<आटो>			
	वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त				
	आवक प्रदाय पर आई टी सी				
	(रिवर्स भार के लिए दायी आयातों				
<del></del>	और आवक प्रदायों से भिन्न)				
ग	परंतु विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त				
	सेवाओं सहित) परंतु अप्रैल से				
	सितंबर, 2018 के दौरान उपभोग				
	किए गए				

		1	Ī		I I
घ	अंतर (क- ख +ग)				
<b>-</b>	उपलब्ध आई टी सी परंतु उपभोग				
ਤ.	न की गई (घ में से)				
_	उपलब्ध आई टी सी परंतु				
च	अनुपयुक्त (घ में से)				
	मालों के आयात पर संदत्त आई				
छ	जीएसटी (विशेष आर्थिक जाने से				
	प्रदाय सहित)				
	मालों के आयात पर उपभोग की				
ज	गई आई जीएसटी प्रत्यय				
	(उपर्युक्त 6(ड.) के अनुसार	<आटो>			
झ	अंतर (छ-ज)				
	मालों के आयात पर उपलब्ध आई				
ञ	टी सी परंत् उपयोग न की गई (झ				
	के समान)				
	चालू वित्तीय वर्ष में व्ययगत होने				
ਟ	वाला कुल आई टी सी (ड. +च +				
	স)	<आटो>	<आटो>	< आटो >	< आटो >

पीटी.	
IV	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणियों में घोषित रुप में संदत्त कर के ब्यौरे
	आई टी सी के माध्यम से संदत्त

9	विवरण	सं दे य क र	सदंत्त	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	समेकित कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7
	एकीकृत कर						
	केंद्रीय कर						
	राज्य/संघ राज्य						
	क्षेत्र कर						
	उपकर						
	ब्याज						
	विलंब फीस						
	शास्ति						
	अन्य						

पीटी. V चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर तक की विवरणियों में घोषित पूर्व वितीय वर्ष के या पूर्व वितीय वर्ष की वार्षिक विवरणी के फाईल किए जाने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, संट्यवहारों की विशिष्टियां

	विविरण	संदेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
10	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय / कर(शुद्ध नामे नोट)					
11	संशोधनों (-) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय/ कर(शुद्ध साख पत्र)					
12	पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोग की गई आई टी सी का उलटाव					
13	पूर्व वितीय वर्ष के लिए उपभोग की गई आईटीसी					

14	उपर्युक्त 10 और 11 में घोषणा के कारण संदत्त अंतरीय कर								
	विविरण	संदेय	संदत्त						
	1	2	3						
	एकीकृत कर								
	केंद्रीय कर								
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर								
	<b>उ</b> पकर								
	ब्याज								

पीटी.	
VI	अन्य जानकारी
15	मांग और प्रतिदाय का विवरण

			राज्य/सं					
	ब्यौरा	केंद्रीय	घ राज्य	एकीकृत				
		कर	क्षेत्र कर	कर	उपकर	ब्याज	शास्ति	विलंब फीस/ अन्य
	1	2	3	4	5			
क	कुल दावाकृत							

	प्रतिदाय				
ख	कुल मंजूर प्रतिदाय				
ग	कुल अस्वीकृ त प्रतिदाय				
घ	कुल लंबित प्रतिदाय				
ਤ.	कुल करों की मांग				
च	उपर्युक्त ड. के संबंध में संदत्त कुल कर				
छ	उपर्युक्त इ. में से लंबित कुल मांग				

धारा 143 के अधीन समिश्रण कर दाताओं, समझी गई प्रदाय से प्राप्त प्रर्तियों पर जानकारी और अनुमोदन आधार पर भेजा गया माल

	ब्यौरे	संदेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
क	समिश्रण करदाताओं					
٦,	से प्राप्त प्रदाय					
-	धारा 143 के अधीन					
ख	समझी गई प्रदाय					

## 17 जावक प्रदायों का सारांश वार एचएसएन

एच एस एन कोड	यू क्यू सी	कुल परिमा ण	सं दे य म् ल्य	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 18 आवक प्रदायों का एचएसएन वार सारांश

1	2	3	4	5	6	7	8	9
एच एस एन कोड	यू क्यू सी	कुल परिमा ण	संरुप स्ट्रिय	कर की द	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर

19	संदेय और संदत्त विलंब फीस								
	विवरण	संदेय	संदत्त						
	1	2	3						
क	केंद्रीय कर								
ख	राज्य कर								

#### सत्यापन:

में, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती की दशा में उसके लाभ को प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को प्रदान कर दिया गया है/कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर

स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता का

नाम

तारीख: पदनाम/प्रास्थिति

# अनुदेश :--

1. प्रयुक्त पद :

क. जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या

ख. यूक्यूसी : यूनिट मात्रा कूट

ग. एचएसएन : नाम पद्धति कूट की सुमेलित पद्धति

2. इस विवरणी में जुलाई, 2017 से मार्च 2018 के बीच की अविध के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं ।

3. भाग II में वित्त वर्ष के दौरान सभी जावक प्रदायों और प्राप्त अग्रिम के ब्यौरे हैं, जिनके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की गई है । भाग 2 में फाइल किए गए ब्यौरे वित्त वर्ष के दौरान करदाता द्वारा फाइल की गई विवरणियों में घोषित सभी प्रदायों का समेकन है । भाग 2 को भरने के लिए अन्देश नीचे दिए अनुसार है :

सारणी सं.	अनुदेश
4क.	उपभोक्ताओं और अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का
	समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा
	की जाएगी । इनमें ई-वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से की गई
	प्रदायों के ब्यौरे सम्मिलित होंगे और उनकी इस संबंध में जारी
	किए गए जमा पत्र या नामे नोट के शुद्ध के रूप में घोषणा की
	जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की
	सारणी 9 और सारणी 10 में क्रमश: संशोधनों के साथ सारणी 5,
	सारणी-7 का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ख.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य(जिसके
	अंतर्गत यूआईएन को किए गए प्रदाय भी हैं) जिस पर कर संदत्त
	किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इनमें ई-वाणिज्यिक
	प्रचालकों के माध्यम से की गई प्रदाय यां सम्मिलित होंगी किंतु
	इनमें ऐसी प्रदाय यां सम्मिलित नहीं होंगी, जिन पर प्राप्तिकर्ता
	द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर का संदाय किया जाना है ।
	नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों का पृथक रूप से वर्णन किया
	जाना है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की
	सारणी 4क और सारणी 4ग का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ग.	निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के
	सिवाय), जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की
	जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की
	सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा ।
4घ.	विशेष आर्थिक जोन को प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर
	संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को
	भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग
	किया जा सकेगा ।
4ਝ.	समझे गए निर्यात की प्रकृति की प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर
	कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों
	को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ग का उपयोग

	किया जा सकेगा ।
4च.	असमायोजित अग्रिमों के ब्यौरे, अर्थात् अग्रिम प्राप्त किया गया है और कर संदत्त किया गया है किंतु चालू वर्ष में बीजक जारी नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 11क का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ন্ড.	सभी आवक प्रदायों का समग्र मूल्य (जिसके अंतर्गत अग्रिम और शुद्ध प्रत्यय और नामे नोट भी हैं) जिन पर कर का प्राप्तिकर्ता द्वारा (अर्थात वार्षिक विवरणी फाइल करने वाले व्यक्ति द्वारा) रिवंस प्रभार आधार पर संदाय किया जाना है । इसके अंतर्गत रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों, अरिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रदाय यां हैं, जिन पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर उदग्रहित किया गया है । इसके अंतर्गत सभी सेवाओं के आयात का समग्र मूल्य भी सिम्मिलित होगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-
4झ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात (4ङ) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।
4ਜ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात (4ङ) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।
4ਟ और 4ठ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (4घ) में किए गए संशोधनों के ब्यौरे और समझा गया निर्यात (4ङ), जमा पत्र (4झ), नामे नोट (4ञ) तथा प्रतिदाय बाउचरों की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा।
5क.	निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा ।
5ख.	विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा।

रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस
पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है । नामे
नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी
है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी
4ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां
घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप
जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । Þजिसे
प्रदाय नहीं माना गया है। के मूल्य की भी घोषणा यहां की जाएगी।
5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में
जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन
ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का
उपयोग किया जा सकेगा ।
5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में
जारी नामे नोट के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन
ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का
उपयोग किया जा सकेगा ।
निर्यात (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) में किए
गए संशोधनों के ब्यौरे और विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदाय
यां, जिन पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की
जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की
सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा ।
कुल आवर्त, जिसके अंतर्गत सभी प्रदायों (अतिरिक्त प्रदायों और
संशोधनों सहित) का योग सम्मिलित है, जिस पर कर संदेय है और
कर संदेय नहीं है, की यहां घोषणा की जाएगी । इसके अंतर्गत
अग्रिम की रकम भी सम्मिलित होगी, जिस पर कर संदत्त किया
गया है, किंतु चालू वर्ष में बीजक जारी नहीं किए गए हैं । तथापि,
इसमें आवक प्रदायों का ऐसा समग्र मूल्य सम्मिलित नहीं होगा,
जिस पर प्राप्तिकर्ता (अर्थात् वार्षिक विवरण फाईल करने वाले
व्यक्ति द्वारा) रिर्वस प्रभार आधार पर कर संदत्त किया गया है।

4. भाग III में लिए गए सभी इनपुट कर प्रत्यय और वित्त वर्ष में उलट दिए गए कर प्रत्यय के ब्यौरे हैं, जिनके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की जाती है । इस भाग को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए गए अनुसार है :

सारणी	अनुदेश
सं.	
6क.	करदाता के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4ख में लिए गए
	कर प्रत्यय को स्वतः यहां दिया जाएगा ।
6ख.	सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य,

	सिवाय उनके जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, किंतु
	इसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त सेवाओं की प्रदाय की यहां
	घोषणा की जाएगी । यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल
	इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट
	कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के
	लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(5) का उपयोग किया जा
	सकेगा ।
	जिसमें ऐसी आईटीसी सम्मिलित नहीं होगी जिसका उपभोग, रिर्वस
	किया गया था और तत्पश्चात् आईटीसी लेजर में उसका पुन: दावा
	किया गया था। इसकी घोषणा नीचे 6(ज) में प्रथक रूप से की जानी
	चाहिए।
6ग.	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों पर लिए गए
	इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, (सेवाओं के आयात से भिन्न),
	जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, की यहां घोषणा की
	जाएगी । यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनप्ट कर
	प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय
	के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप
	जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) का उपयोग किया जा सकेगा ।
6घ.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों पर लिए गए
	इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, जिन पर कर अनुलोम प्रभार
	आधार पर संदेय है, की यहां घोषणा की जाएगी । यह नोट किया जा
	सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल
	और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया
	जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की
	सारणी 4(क)(3) का उपयोग किया जा सकेगा ।
6ਝ.	मालों के आयात पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे, जिसके
	अंतर्गत विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त मालों की प्रदाय भी है, की यहां
	घोषणा की जाएगी । यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल
	इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट और पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय के
	रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप
	जीएसटीआर-3ंख की सारणी 4(क)(1) का उपयोग किया जा सकेगा।
6च.	सेवाओं के आयात (विशेष आर्थिक जोनों से जावक प्रदायों को अपवर्जित
	करते हुए) पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा
	की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की
	सारणी 4(क)(2) का उपयोग किया जा सकेगा ।
6छ.	इनपुट सेवा वितरक से प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय के समग्र मूल्य की
	यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप
	जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(4) का उपयोग किया जा सकेगा।
6ज.	अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपभोग किए गए, उलटे गए और

	पुनः दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय की समग्र मूल्य की यहां घोषणा
	की जाएगी ।
6퍼.	प्ररूप जीएसटीआर-3ख के माध्यम से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की
	कुल रकम और पंक्ति ख से ज में घोषित इनपुट कर प्रत्यय के बीच
	के अंतर की यहां घोषणा की जाएगी । आदर्श रूप में यह रकम शून्य
	होनी चाहिए ।
6ਟ.	प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1, जिसके अंतर्गत टीआरएएन-1 (चाहे
	आरोही या अधोमुखी हो) का पुनरीक्षण है, को फाइल करने पर
	इलैक्ट्रानिक प्रत्ययं बही में प्राप्त अंतरण प्रत्यय के ब्यौरों, यदि कोई
	हों, की यहां घोषणा की जाएगी ।
6ਰ.	प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-2 को फाइल करने के पश्चात् इलैक्ट्रानिक
	प्रत्यय बही में प्राप्त अंतरण प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की
	जाएगी ।
6ਵ	उपभोग किए गए ऐसे आईटीसी के ब्यौरे जो उपरोक्त 6ख से 6ठ के
	अधीन विनिर्दिष्ट किसी शीर्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं, घोषित किए
	जाएंगे। वित्तीय वर्ष में प्ररूप आईटीसी-01 और प्ररूप-आईटीसी-02 के
	माध्यम उपभोग किए गए आईटीसी के ब्यौरे यहा घोषित किए जाएंगे।
7क,	केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 37, नियम 39,
7ख,	नियम 42 और नियम 43 के अधीन अपेक्षित पात्र न होने या उलटने
7ग, 7घ,	के कारण उलटे गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की
7ङ, 7च,	जाएगी । इस स्तंभ में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
7छ और	की धारा 17(5) के अधीन उलटे गए किसी इनप्ट कर प्रत्यय के ब्यौरे
7ਤ	और प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 या प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-2 के
	अधीन दावा किए गए अंतरण प्रत्यय, जो पात्र नहीं है, जिसे
	पश्चातवर्ती रूप से उलट दिया गया है, के ब्यौरे भी अंतर्विष्ट होने
	चाहिए । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की
	सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकेगा । प्ररूप आईटीसी-03 के
	माध्यम से उलटे गए किसी आईटीसी को 7ज में घोषित किया जाएगा।
8क.	वर्ष 2017-18 के दौरान और प्ररूप जीएसटीआर-2ख में दर्शाया गया
	आवक प्रदायों के लिए उपलब्ध प्राप्त कुल प्रत्यय (आयात और
	अनुलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदायों से भिन्न, किंतु जिसके
	अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त सेवाएं हैं) को इस सारणी में
	स्वतः दर्शाया जाएगा । यह उन सभी इनपुट कर प्रत्ययों का समग्र
	होगा, जिनकी तत्स्थानी प्रदाय कारों द्वारा अपने प्ररूप जीएसटीआर-1
	में घोषणा की गई है।
8ख.	सारणी 6ख में यथा घोषित इनपुट कर प्रत्यय को यहां स्वतः दिखाया
	जाएगा ।
8ग.	सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य
	(सिवाय उन, जिन पर अन्लोम प्रभार आधार पर कर संदेय है, किंत्
<u> </u>	3 3 3

	इसमें जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान विशेष आर्थिक जोनों से
	प्राप्त सेवाओं की प्रदाय) किंतु ऐसे प्रत्यय की, जिसका अप्रैल से
	सितंबर, 2018 के बीच उपभोग किया गया है, यहां घोषणा की
	जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की
	सारणी 4(क)(5) का उपयोग किया जा सकेगा ।
8ङ और	इनपुट कर प्रत्यय, जो प्ररूप जीएसटीआर-2क (केवल सारणी-3 और
8च.	सारणी-5) में उपलब्ध था किंतु जिसको किसी प्ररूप जीएसटीआर-3ख
	विवरणी में नहीं लिया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । उस
	प्रत्यय को प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जो उपलब्ध था
	किंतु जिसको नहीं लिया गया है या प्रत्यय को नहीं लिया गया क्योंकि
	वह पात्र नहीं था । दोनों पंक्तियों का कुल योग 8घ में के अंतर के
	बराबर होना चाहिए।
8छ.	वित्त वर्ष के दौरान आयात के समय संदत्त आईजीएसटी (जिसके
	अंतर्गत विशेष आर्थिक जाने से आयात हैं) के समग्र मूल्य की यहां
	घोषणा की जाएगी ।
8ज.	सारणी 6ङ में घोषित इनपुट कर प्रत्यय को यहां स्वतः दर्शित किया
	जाएगा ।
8ਟ.	कुल इनपुट कर प्रत्यय, जो चालू वित्त वर्ष के लिए व्यपगत हो
	जाएगा, की इस पंक्ति में संगणना की जाएगी ।

5. भाग IV वित्त वर्ष के दौरान संदत्त वास्तविक कर है । प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 6.1 के अधीन कर के संदाय का इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा । 6. भाग V में पूर्व वित्तीय वर्ष के संव्यवहार की विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं किन्तु जिनकी घोषणा चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की विवरणी में या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी फाईल करने की तारीख को (उदाहरण के लिए वित्तीय 2017-2018 के लिए वार्षिक विवरणी में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अप्रैल से सितंबर 2018 में घोषित संव्यवहारों की घोषणा की जाएगी), इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, घोषित किया गया है। भाग 5 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार हैं:

सारणी सं.	अनुदेश				
10 और 11.	पूर्व वित्त वर्ष की विवरणियों में पहले ही घोषित किसी आप्रदाय में				
	वर्धन या संशोधन के ब्यौरे किंतु ऐसे संशोधनों को चालू वित्तीय वर्ष के				
	अप्रैल से सितंबर के प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क, सारणी 9ख				
	और सारणी 9ग में या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल				
	करने की तारीख को, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हों, में घोषित किया गया				
	था, यहां घोषित किए जाएंगे ।				
12.	इनपुट कर प्रत्यय के उलटने का समग्र मूल्य, जिसको पूर्व वित्त वर्ष के				
	दौरान लिया गया था, किंतु जिसको चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से				
	सितंबर मास के लिए फाइल विवरणी में उलट दिया गया था या पूर्व				
	वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी पारित करने की तारीख, इनमें से				

	जो भी पूर्वत्तर हो, को यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने
	के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा
	सकेगा ।
13	पूर्व वित्तीय वर्ष में प्राप्त माल या सेवाओं के आईटीसी के ब्यौरे, किंतु
	उसका उपभोग आईटीसी चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर मास के
	लिए या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की
	तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, फाइल की गई विवरणियों में
	किया गया था, यहां घोषित किए जाएंगे, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की
	सारणी 4(क) का इन ब्यौरों को फाइल किए जाने हेतु उपयोग किया जा
	सकेगा ।

7. भाग VI में अन्य सूचना के ब्यौरे हैं । भाग 6 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार है :

सारणी सं.	अनुदेश
15क,15ख,	दावा किए गए, स्वीकृत, अस्वीकृत और प्रसंस्करण के लिए लंबित
15ग और	प्रतिदाय के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । दावा किया गया
15ਬ	प्रतिदाय वित्तीय वर्ष में फाईल किए गए सभी प्रतिदाय दावों का समग्र
	मूल्य होगा और इसके अंतर्गत वह प्रतिदाय हैं, जिन्हें स्वीकार किया
	गया है, अस्वीकार किया गया है या जो प्रसंस्करण के लिए लंबित हैं ।
	स्वीकृत प्रतिदाय से सभी प्रतिदाय स्वीकृति आदेशों का समग्र मूल्य
	अभिप्रेत है । लंबित प्रतिदाय सभी प्रतिदाय आवेदनों, जिनके लिए
	अभिस्वीकृति प्राप्त की गई है, की समग्र रकम होगी और इसके अंतर्गत
	प्राप्त अनंतिम प्रतिदाय नहीं है । इसके अंतर्गत गैर-जीएसटी प्रतिदाय
	दावों के ब्यौरे नहीं है ।
15ਵ਼., 15ਚ	ऐसे करों की मांगों के कुल मूल्य, जिसके लिए मांगों की पुष्टि करने
और 15छ	वाला आदेश न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, यहां
	घोषित किया जाएगा । पुष्ट की गई मांग के कुल मूल्य पर संदत्त करों
	का समग्र मूल्य की, जो ऊपर 15ड. में घोषित किया गया है की घोषणा
	की जाएगी । उपरोक्त 15ड. में लंबित वसूली की मांगों का कुल मूल्य
	यहां घोषित किया जाएगा ।
16क	संरचना करदाताओं से प्राप्त प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया
	जाएगा । प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 5 का उपयोग इन ब्यौरों
	को भरने के लिए किया जा सकेगा।
16ख	झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 143 की
	उपधारा (3) और उपधारा (4) के निबंधनानुसार मालिक से फुटकर
	कामगारों तक सभी समझे गए प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया
	जाएगा ।

16ग	ऐसे मालों के लिए, जिन्हें अनुमोदन आधार पर भेजा गया था किन्तु ऐसे प्रदाय के एक सौ अस्सी दिन के भीतर प्रधान प्रदायकर्ता को वापस नहीं लौटाया गया था, सभी समझे गए प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।
17 और 18	विशिष्ट एचएसएन के प्रति किए गए और प्राप्त किए गए प्रदायों का सार केवल इस सारणी में रिपोर्ट किया जाए । यह उन करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगा, जिनका वार्षिक आवर्त 1.50 करोड़ रुपए तक है । यह ऐसे करदाताओं के लिए दो अंकों वाले स्तर पर एचएसएन कोड को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में वार्षिक आवर्त 1.50 करोड़ रुपए है किन्तु 5.00 करोड़ रुपए तक है और चार अंकों वाले स्तर पर उन करदाताओं के लिए, जिनका वार्षिक आवर्त 5.00 करोड़ रुपए से अधिक है । माल के प्रदाय के लिए यूक्यूसी ब्यौरे ही प्रस्तुत किए जाएं । मात्रा विवरणियों के कुल योग के रूप में रिपोर्ट की जानी है । सारणी-17 में के ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 12 का उपयोग किया जा सकेगा ।
19	विलंब फीस संदेय होगी, यदि वास्तविक विवरणी देय तारीख के पश्चात् फाइल की जाती है ।

उपाबंध-ख संरचना करदाताओं के लिए वार्षिक विवरणी

प्ररूप जीएसटीआर-9क							
	(नियम 80 देखिए)						
	वार्षिक विव	वरण (संरच	ना करदा	ता के वि	लेए)		
भाग. ।		आध	धारिक ब्यौ	रे			
1	वित्तीय वर्ष						
2	जीएसटीआईएन						
3क	विधिक नाम	< <b>₹</b> व>					
3ख	व्यवसाय नाम (यदि कोई हो)	<स्व>					
	वर्ष (संतक) के दौर	ान संरचना र	कीम की				
4	अवधि						
5	पूर्व वित्तीय वर्ष का कुल आव	र्त					
					(सभी सारपि	गेयों में रुप	ए में रकम)
भाग. II	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल	की गई विवर	णियों में ६	ग्रोषित ज	ावक और 3	नावर्त प्रदाय	मों के ब्यौरे
	वर्णन	आवर्त	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1 2 3 4		4	5	6	7	
6	ऐसे जावक प्रदायों के ब्यौरे यथाघोषित कर संदेय है	जिस पर, वि	त्तीय वर्ष	के दौरा	न फाइल	की गई वि	वरणियों में
क	कराधेय						
ख	छूट प्राप्त, शून्य दर						

ग	कुल						
7	ऐसे आवक प्रदायों के ब्यौरे, र्वि	जेन पर कर	वित्तीय व	र्ष के दौ	रान फाइल	की गई वि	वरणियों में
,	घोषित प्रतिलोम प्रभार आधार	(नामे नोट/जम	ना पत्रों का	योग) प	ार संदेय हैं		
		कराधेय			राज्य/संघ	एकीकृत	
	विवरण	मूल्य	केंद्रीय	कर	राज्यक्षेत्र	कर	उपकर
		- X			कर		
	1	2	3		4	5	6
	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से						
क	प्राप्त प्रतिलोम प्रभार के						
	लिए दायी आवक प्रदाय						
	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से						
ख	प्राप्त प्रतिलोम प्रभार के						
	लिए दायी आवक प्रदाय						
ग	सेवाओं का आयात						
घ	उपरोक्त (क), (ख) और (ग)						
	पर संदेय शुद्ध कर						
8	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल	की गई विवरि ।	गेयों में य <sup>8</sup>	थाघोषित	अन्य आव	क प्रदायों वे ।	के ब्यौरे
	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से						
क	प्राप्त आवक प्रदाय (उपरोक्त						
	7क से भिन्न)						
ख	माल का आयात वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई			<del>*</del>			
भाग III 9	वित्ताय वर्ष के दारान प	गइल का गइ	विवराणया कुल संदे		धाषित सद		ब्यार
9	1		2	9 47	3		
	एकीकृत कर						
	केंद्रीय कर						
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	 कर					
	उपकर	<u> </u>					
	ब्याज						
	विलंब फीस						
	शास्ति						
	चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल र	ने सितंबर की	या पूर्व वि	वेत्तीय व	ार्ष की वार्षि	क विवरणी	ो के फाईल
भाग. IV	किए जाने की तारीख तक इन	नमें से जो भी	पूर्वत्तर ह	ो, विवर	णियो में घं	षित पूर्व वि	वेत्तीय वर्ष
	के लिए संव्यवहारों की विशिष्टि	टेयां					
					राज्य		
				केंद्रीय	कर/ संघ	एकीकृत	उपकर
			_	कर	राज्यक्षेत्र	कर	5 1-1/
1			आवर्त		कर		
	वर्णन				-		
	1		2	3	4	5	6
10	वर्णन 1 संशोधनों के माध्यम से घोषि (जावक) (+) (नामे नोटों			3		5	6

				1	i	1	1	1
	संशोधनों के मा	ध्यम से घोषि	त प्रतिलोम					
11	प्रभार के लिए	दायी आवक	प्रदाय (+)					
	(नामे नोटों का योग)							
	संशोधनों के माध	संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए						
12	प्रदाय/कर (जा	वक) (-) (जम	ग पत्रों का					
		योग)						
	संशोधनों के माध	<u> </u>	नी किया गाम					
40	प्रतिलोम प्रभार वे	· ·						
13								
		ना पत्रों का ये		<u> </u>			. 0	
14	उपराक्त		2 और 13 में	का गइ घ	ı			
		वर्णन			₹	<b>मंदेय</b>	स	दत्त
		1				2		3
		एकीकृत व	कर					
		केंद्रीय क	ज् <b>र</b>					
	रा	ज्य/संघ राज्य	क्षित्र कर					
		उपकर						
		ब्याज						
भाग. V			अन	य जानकार	ते			
15			मांग और प्रति	तेदायों की	विशिष्टि	यां		
			राज्य/संघ					
	वर्णन	केंद्रीय कर	राज्यक्षेत्र	एकीकृत	उपकर	ब्याज	शास्ति	विलंब
	4 101	11941-1	कर	× 111 [1.71		5 -11 -01	XIII XII	फीस/अन्य
			4/(					
	1	2	3	4	5	6	7	8
	दावा किया गया							
क	कुल प्रतिदाय							
ख	स्वीकृत कुल							
	प्रतिदाय							
	अस्वीकृत कुल							
ग	प्रतिदाय							
ਬ	लंबित कुल							
	प्रतिदाय							
ਤ.	करों की कुल							
3.	मांग							
	3111)2 - 2 <del>-</del>							
핍	उपरोक्त ड. के							
ч	संबंध में संदत्त							
	कुल कर							
	उपरोक्त ड. के							
छ	कारण लंबित							
	कुल मांग							

16	उलटा गया या उपभुक्त प्र	त्यय के	ब्यौरे		
	वर्णन	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत	उपकर
	1	2	3	4	5
	संरचना स्कीम में विकल्प लेने पर उलटा गया प्रत्यय				
क	(-)				
	संरचना स्कीम के कारण विकल्प लेने पर उपभुक्त				
ख	प्रत्यय (+)				
17	संदेय और संदत्त वि	लंब फीस	Г		
	वर्णन	7	<b>मंदेय</b>	संव	दत्त
	1		2		3
क	केंद्रीय कर				
ख	राज्य कर				

#### सत्यापन :

में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है और आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती की दशा में, उसका फायदा प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को संक्रान्त कर दिया गया है/कर दिया जाएगा।

### स्थान:

हस्तारक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख:

पदनाम/प्रास्थिति

# अनुदेश :--

- 1. जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की समयाविध के ब्यौरे इस विवरणी में उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- 2. भाग । में करदाता के आधारिक ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं । भाग । को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं॰	अनुदेश
5	पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्त उस वर्ष के, जिसके लिए विवरणी
	फाइल की जा रही है, पूर्व वित्तीय वर्ष का आवर्त है ।उदाहरण के लिए
	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी हेतु वित्तीय वर्ष 2016-
	17 के कुल आवर्त को इस सारणी में प्रविष्ट किया जाएगा। यह उसी
	स्थायी लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकृत सभी करदाताओं का आवर्त है ।

3. भाग II में उस वित्तीय वर्ष, जिसके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की गई है, में सभी जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे हैं। भाग II को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

सारणी सं॰	अनुदेश
 6क	गभी जानक प्रनामें का कहा गहा कहा जाने जीनें/जाम पर्ने का गोग
୦୩	सभी जावक प्रदायों का कुल मूल्य, कुल नामे नोटों/जमा पत्रों का योग, संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिमों का योग और वापस किए गए माल का
	योग यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप
	जीएसटीआर-4 की सारणी 6 और सारणी 7 का उपयोग किया जा सकेगा ।
6ख	छूट प्राप्त, शून्य दर और गैर-माल और सेवाकर प्रदायों का कुल मूल्य यहां
	घोषित किया जाएगा ।
7क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों का कुल मूल्य, जिस पर
	कर प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा । इन
	ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4ख, सारणी 5 और
	सारणी 8क का उपयोग किया जा सकेगा ।
7ख	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों (सेवाओं के आयात से
	भिन्न) का कुल मूल्य, उलटे गए प्रभार के आधार पर संदेय है, यहां घोषित
	किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी
	4ग, सारणी 5 और सारणी 8क का उपयोग किया जा सकेगा।
7ग	वित्तीय वर्ष के दौरान आयात की गई सभी सेवाओं का कुल मूल्य यहां
	घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की
	सारणी 4घ और सारणी 5 का उपयोग किया जा सकेगा ।
8क	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों का कुल मूल्य, जिस
	पर कर प्रदायकर्ता द्वारा संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों
	को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4क और सारणी 5 का
	उपयोग किया जा सकेगा ।
8ख	वित्तीय वर्ष के दौरान आयात किए गए सभी माल का कुल मूल्य यहां
	घोषित किया जाएगा ।

4. भाग IV में चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर में या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरण फाईल करने की तारीख (उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के वार्षिक विवरणी में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अप्रैल से सितंबर में घोषित संव्यवहारों को घोषित किया जाएगा)। इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, कि विवरणी में पूर्व वित्तीय वर्ष के प्रदायों के लिए किए गए संशोधनों के ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं। भाग V को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

सारणी सं0	अनुदेश
10, 11,	ऐसे किन्ही प्रदायों के परिवर्धनों या संशोधनों के ब्यौरे, जिन्हें पूर्व वित्तीय
12, 13	वर्ष की विवरणियों में पहले घोषित किया गया था किन्तु ऐसे संशोधनों,
और 14	चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए

वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख तक इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, के प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 5 (आवक प्रदायों से संबंधित) या सारणी-7 (जावक प्रदायों से संबंधित) में दिए गए थे, यहां प्रस्तुत किए जाएंगे।

# 5. भाग V में अन्य जानकारी के ब्यौरे हैं । भाग 5 को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं0	अनुदेश
15क,	प्रसंस्करण के लिए दावाकृत, स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित प्रतिदायों का
15ख,	कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । दावाकृत प्रदाय वित्तीय वर्ष में
15ग और	फाइल किए गए सभी प्रतिदाय दावों का कुल मूल्य होगा और इसमें ऐसे
15ਬ	प्रतिदाय भी सम्मिलित होंगे जिन्हें प्रसंस्करण के लिए स्वीकृत, अस्वीकृत
	किया गया है या लंबित हैं । स्वीकृत प्रतिदाय से सभी प्रतिदाय स्वीकृति
	आदेशों का कुल मूल्य अभिप्रेत है । लंबित प्रतिदाय ऐसे सभी प्रतिदाय
	आवेदनों में कुल रकम होगी, जिनके लिए अभिस्वीकृति प्राप्त कर ली गई
	है और इसमें प्राप्त किया गया अनंतिम प्रतिदाय नहीं होगा । इनमें गैर-
	माल और सेवाकर प्रतिदाय दावों के ब्यौरे सम्मिलित नहीं होंगे ।

15ਵ.,	ऐसे करों की मांगों के कुल मूल्य, जिसके लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
15च और	द्वारा मांगों की पुष्टि करने वाला आदेश जारी किया गया है, यहां घोषित
15छ	किया जाएगा । उपरोक्त 15ड में पुष्ट की गई मांगों के कुल मूल्य में से
	संदत्त करों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
16क	यदि कोई टयक्ति संरचना स्कीम के अधीन कर देने का चयन करता है
	तो उलटे गए सभी प्रत्ययों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
	प्ररूप आईटीसी-03 में दिए गए ब्यौरों का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के
	लिए किया जा सकेगा ।
16ख	यदि कोई व्यक्ति संरचना स्कीम के बाहय कर देने का चयन करता है तो
	उपभोग किए सभी प्रत्ययों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
	प्ररूप आईटीसी-01 में दिए गए ब्यौरों का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के
	लिए किया जा सकेगा ।
17	विलंब शुल्क देय होगा, यदि वास्तविक विवरणी देय तारीख के पश्चात्
	फाइल की जाती है ।

11. उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटी के ईडब्ल्यूबी-01 के टिप्पणों में क्रम संख्या 7 के नीचे सारणी के पहले स्तंभ में कोड-4 के सामने दूसरे स्तंभ में "एस.के.डी." या "सी.के.डी." अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "एस.के.डी. या सी.के.डी. या बैचों या लॉटों में आप्रदाय " अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के॰ के॰ खण्डेलवाल, अपर मुख्य सचिव

टिप्पण - मूल नियमावली झारखंड के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. 3/2017- राज्य कर, तारीख 20 जून, 2017, जो एस. ओ. सं. 28, तारीख 20 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 29/2018- राज्य कर, तारीख 26 जुलाई, 2018 जो एस. ओ. सं. 47, तारीख 26 जुलाई, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

-----